झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)बाह्य–09–08 / 2015 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री निरंजन उराँव, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं०–02, बाँका के विरूद्ध बाँका जिला के अमरपुर प्रखण्ड के भदरिया ग्राम– पंचायत के सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (बीस प्रतिशत) के तहत् क्रियान्वित योजनाओं में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 4757 दिनांक– 28.09.2016 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री निरंजन उराँव, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये थे :–

(i) (वित्तीय वर्ष 2004–05) योजना क्रमांक–1 :– रामचन्द्रपुर लौसा ग्रामीण पथ मरम्मति कार्य (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना के तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति रू० 1,01,700 / – कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमण्डल, सं०–2 बांका एवं उप विकास आयुक्त, बांका द्वारा दिया गया है। मापी पुस्त के पृष्ठ –1 – 6 में अंकित मापी जो कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता से जाँचित है। के अनुसार अभिकर्त्ता श्री कुलांनन्द मिश्र, कनीय अभियंता को रू० 1,01,700 / – का भुगतान किया गया है।

इस योजना के स्वीकृत प्राक्कलन में 400 फीट लंबाई में पथ के दोनों ओर फ्लैंक में 2'–00" औसत ऊँचाई में 3'–0" +6'–0" / 2 चौड़ाई मिट्टी भराई के कार्य के अतिरिक्त 200 फीट लंबाई में डीच (Ditch) में मिट्टी भराई कार्य 16'–0" x 22'–0" चौड़ाई एवं 1'–6" गहराई में कराने का प्रावधान था। स्वीकृत प्राक्कलनों में 400 फीट लंबाई में 10 फीट चौड़ाई एवं 4" मोटाई (बिना संपीडन) WBM ग्रेड–1 का कार्य एवं इसी चौड़ाई में 3" मोरन (बिना संपीडन) का कार्य का प्रावधान किया गया है। 240'–0" लंबाई में 2'–0" 2'–0" आन्तरिक आकार का नाला निर्माण करने का प्रावधान था। नाला के दोनों दिवाल 10" x 2'–0" आकार का निर्माण करना था।

स्थलीय जाँच में WBM ग्रेड–1 का कार्य एवं कुल मोरम किया हुआ पाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि तीन वर्ष पूर्व मिट्टी WBM एवं मोरम का कार्य किया गया था। पथ से सटे हुए नाला का निर्माण नहीं पाया गया। यह कुछ दूरी पर अलग बना हुआ पाया गया जिसका उपयोग श्री कृत्यानन्द कापड़ी एवं अन्य द्वारा किया जाता है। 125'–00" लम्बा 1'–00" चौड़ा एवं 1'–00" ऊँचा नाला जिसका दोनों दिवाल 5" चौड़ा 1'–0' ऊँचा पाया गया। इसके अतिरिक्त 110'–0" लम्बाई एवं 1'–0' चौड़ाई तथा 1'–0' ऊँचा नाला निर्माण एवं नाले के दोनों दिवाल क्रमशः 5" एवं 10" चौड़ा तथ 1'–2" ऊँचा पाया गया। निर्मित नाला की कुल लंबाई 325' पाई गई परन्तु मापी पुस्त में प्राक्कलन के अनुरूप 240' लंबाई 2'–0" चौड़ा एवं नाला के दोनों दिवाल 10" X 2'–0" आकार की प्रविष्टि की गई है। स्थल पर कराया गया कार्य प्राक्कलन एवं ली गई मापी से मेल नहीं खाती है। जिससे अनियमितता परिलक्षित होता है, जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।

(ii) (वित्तीय वर्ष 2004–05) योजना क्रमांक–3 :– गंगापुर में कुशवाहा बाँध निर्माण (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना की रू० 1,50,800 / – की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अभिकर्त्ता श्री कुलांनन्द मिश्र, कनीय अभियंता को उनके द्वारा मापीपुस्त के पृष्ठ 1 एवं 2 में अंकित मापी जो सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा जाँचित है के अनुसार रू० 1,50,800 / –भुगतान किया गया है।

P.T.O

प्राक्कलन के अनुसार 490 फीट लंबाई में अवस्थित बाँध को 3'–0" से बढ़ाकर 10'–0" ऊँचा करने हेतु मिट्टी का प्रावधान है। स्थलीय जाँच में 300 लंबाई में 6'8" फीट मिट्टी की भराई का कार्य कराया हुआ पाया गया। मापीपुस्त में प्राक्कलन के अनुरूप 3'–00" के ऊपर 10'–0" ऊँचाई में मिट्टी अंकित किया गया है। स्थल पर कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया। जिससे अनियमितता परिलक्षित होता है जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।

(iii) (वित्तीय वर्ष 2004–05) योजना क्रमांक–4 :– ग्राम–रामचन्द्रपुर में नाला निर्माण (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना की रू० 51300/– की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति दी गई है। अभिकर्त्ता श्री कुलानन्द मिश्रा, कनीय अभियंता को मापी पुस्त के पृष्ठ 1–3 पर उनके द्वारा अंकित मापी जो सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा जाँचित है के अनुसार रू० 51300/– का भुगतान किया गया है।

स्वीकृत प्राक्कलन में 190'–0" फीट लंबाई में 10" चौड़ा एवं 1'–6" फीट ऊँचा तथा नालों की दीवाल पर 3" मोटा पी०सी० फ्लाई का कार्य करना है। नाला में 10" चौड़ाई में पानी बहने का प्रावधान किया गया है। स्थलीय जाँच में 55'–0" फीट लम्बाई से 10" X 1'–9" नाला का दोनों दीवाल प्लास्टर एवं पन्नींग के साथ कार्य पाया गया। नाला की चौड़ाई 10" पायी गयी तथा 140'–00" लंबाई में 5" X 1'–9" फीट नाला का दोनों किनारा पाया गया तथा नाला की चौड़ाई 10" फीट पायी गई जबकि मापी पुस्तिका में 215 फीट लंबाई में 10" X 1'–9" फीट नाला का दोनों दीवाल प्लास्टर एवं पन्नींग के साथ अंकित है। अतः नाला का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार नहीं हुआ है। जिससे अनियमिततता परिलक्षित होता है जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी हैं।

(iv) (वित्तीय वर्ष 2004–05) योजना क्रमांक–5 :– शीला देवी पति मनोज हरिजन खाता–36 खेसरा 388/434 पर उत्पादन सह बिक्री केन्द्र निर्माण (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना की रूपये 84,250/– की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति दी गई है। अभिकर्त्ता श्री कुलानंद मिश्रा, कनीय अभियंता को मापीपुस्त के पृष्ठ 1–6 में अंकित जिसकी जाँच सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है, के अनुसार 84,250/– का भुगतान किया गया है। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 10' x 10' का एक कमरा, 10' x 8' का एक बरामदा एवं स्थानीय लकड़ी का 3'–6" x 7'–0" का एक दरवाजा तथा 3' x 4' का दो अद्द खिड़की का प्रावधान है।

निरीक्षण के समय 10'x 10'–7" आकार का दो कमरा तथा 3'–4" x 6'–1" का दो किवाड़ पाया गया जबकि खिड़की एवं प्लास्टर कार्य नहीं पाया गया जबकि मापीपुस्त में दो खिड़की की प्रविष्टि की गई है जो सही नहीं है। इस भवन का उपयोग आवासीय कार्य में होता हुआ पाया गया जिससे अनियमितता परिलक्षित होता है जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।

(v) (वित्तीय वर्ष 2004–05) योजना क्रमांक–6 :– सरोजनी देवी पति लक्ष्मण हरिजन खाता एवं खेसरा 72 पर कूप निर्माण (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना का रूपये 48,000/– का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। अभिकर्त्ता श्री कुलानंद मिश्रा को मापीपुस्त पृष्ठ 1 से 4 में अंकित मापी जो सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से जाँचित है, के अनुसार रूपये 48,000/– का भुगतान किया गया है। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 32'–0" गहराई तक मिट्टी खुदाई का कार्य करने के बाद आर०सी०सी० जमोट 7' x 8" व्यास का, 1'–8'' चौड़ा एवं 1'–6" मोटा का कार्य करने का प्रावधान था। कुँआ का आंतरिक व्यास 6'–0" रखते हुए 7'–8" बाहरी व्यास 1'–8" चौड़ा 6'–0" ऊँचा स्टोन मेशनरी (1:4) बाहरी व्यास का 1'–3" चौड़ा एवं 24'–0" गहरा ईंट चिनाई (1:4) कार्य, कुँए के अन्दर 32–'0" गहराई में 6'–0" आंतरिक व्यास में Flush Pointing का कार्य के अतिरिक्त कुँए के 7'–00" बाहरी व्यास में चारों तरफ का Flush Pointing का कार्य कराया जाना था।

स्थल निरीक्षण में कुँए का आंतरिक व्यास 6'–0" के जगह 4'–6" दीवाल की मुटाई 1'3" कुँए की गहराई 13'–6" एवं कुँए की दीवाल की ऊँचाई 1'–4" पाया गया। कुँए के चारों तरफ 3'–9" की

चौड़ाई में जगत का निर्माण पाया गया। कुँए में पानी रहने के कारण कुँए की नींव आदि की जाँच नहीं हो सका। मापीपुस्त प्रविष्टि प्राक्कलन के अनुरूप पाया गया। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है। जिससे अनियमितता परिलक्षित होता है जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।

(vi) (वित्तीय वर्ष 2004–05) योजना क्रमांक–7 :– ग्राम–लौसा सरस्वती देवी पति सरयू बैठा का उत्पादन सह बिक्री केन्द्र निर्माण (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना का रूपये 65,800/– का प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति दी गई है, अभिकर्त्ता श्री कुलानंद मिश्रा को मापीपुस्त पृष्ठ 1 से 6 में अंकित मापी जो सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा जाँचित है, के अनुसार रूपये 65,800/– का भुगतान किया गया है।

स्वीकृत प्राक्कलन में 10′ x 12′ आकार के भवन निर्माण में 3′–6″ x 7′–0″ का एक दरवाजा, 2′–6″ x 4′–0″ आकार का लोहे का दो खिड़की दीवाल एवं सीलिंग प्लास्टर के अतिरिक्त फर्श आदि कार्य का प्रावधान किया गया है।

स्थल निरीक्षण के समय 10′ x 12′ के भवन निर्माण में 3′–0″ x 6′–6″ का एक लकड़ दरवाजा, दीवाल एवं छत प्लास्टर पाया गया। खिड़की नहीं पाया गया जबकि मापीपुस्त में एक लकड़ी की खिड़की की प्रविष्टि की गई। रैक एवं Shelves निर्मित पाया गया जिसका प्रावधान प्राक्कलन में नहीं है। लाभुक द्वारा भवन का उपयोग आवासीय के रूप में करता हुआ पाया गया। जिससे अनियमितता परिलक्षित होता है जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।

(vii) (वित्तीय वर्ष 2005–06) योजना क्रमांक–1 :– राजापुर ग्रामीण सड़क में ईंट सोलिंग (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना का रूपये 48,900/– की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई है। अभिकर्त्ता श्री कुलानंद मिश्रा, कनीय अभियंता को उनके द्वारा मापीपुस्त पृष्ठ 1 से 3 में अंकित मापी जो सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता स्तर से जाँचित है, कि अनुसार रूपये 48,900/– का भुगतान किया गया है। स्वीकृत प्राक्कलन में से 300′–0″ लंबा सड़क में 10″–0″′ x 1′–6″ मिट्टी भराई के उपरान्त 6″ बालू भराई के ऊपर 8′0″ चौड़ाई में ईंट सोलींग 1 : 4 flush pointing के साथ किया जाना है।

जाँच में उक्त पथ ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा P.C.C. सड़क निर्माण करा दिये जाने के कारण ईंट सोलिंग की जाँच नहीं की जा सकी। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मिट्टी भराई, बालू भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य हुआ था। योजना में यह कार्य ग्राम राजापुर लिखा गया है लेकिन यह कार्य खंजरपुर में हुआ है। जिससे अनियमितता परिलक्षित होता है जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।

(viii) (वित्तीय वर्ष 2005–06) योजना क्रमांक–2 :– भदरिया कुशवाहा टोला में पक्का नाला निर्माण कार्य (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना की रूपये 54,000/– का प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई है। अभिकर्त्ता श्री कुलानंद मिश्रा को उनके द्वारा मापीपुस्त पृष्ठ 1 से 3 पर अंकित मापी जो सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता स्तर से जाँचित है, कि अनुसार रूपये 54,000/– का भुगतान किया गया है।

स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार आंतरिक चौड़ाई 10″ रखते हुए 200′ लंबा नाला के दोनों दीवाल 10″ x 1′–6′ के उपर 10″ चौड़ा एवं 3″ मोटा P.C.C. (1 : 2 : 4) एवं प्लास्टर एवं पनिंग का प्रावधान है।

स्थल निरीक्षण में कुल लंबाई में नाला निर्मित पाया गया। 44′–0′ लंबाई में नाला का दोनों दिवाल 10″ चौड़ा एवं 1′–0″ ऊँचा पाया गया एवं नाला की चौड़ाई 10″ पाया गया। इसके अतिरिक्त शेष लंबाई में एक दीवाल 10″ x 2′–0″ एवं दूसरा दीवाल 5″ x 2′–1″ निर्मित पाया गया। मापी पुस्त में 225 फीट लंबाई में 10″ चौड़ा 1′–9″ ऊँचा दीवाल की प्रविष्टि की गई है। स्थल पर कार्य मापी में

P.T.O

प्रविष्टि से अधिक पाई गई। जिससे अनियमितता परिलक्षित होता है जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।

(ix) (वित्तीय वर्ष 2005–06) योजना क्रमांक–4 :– राधा देवी पति गज्जो हरिजन ग्राम–भदरिया का रिहायसी यूनिट निर्माण (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना की रूपये 78,000/– की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई है। अभिकर्त्ता श्री कुलानंद मिश्रा, कनीय अभियंता को उनके द्वारा मापीपुस्त पृष्ठ 1 से 5 पर मापी जो सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता स्तर से जाँचित है, के अनुसार रूपये 78,000/– का भुगतान किया गया है।

स्वीकृत प्राक्कलन में 10′ x 12′ का एक कमरा एवं 10′ x 5′ का एक बरामदा का निर्माण करना था जिसमें स्थानीय लकड़ी का 3′–6″ x 0′–6″ का एक दरवाजा एवं दो खिड़की 2′–6′ x 3′–0″ का प्रावधान किया गया है।

स्थलीय जाँच में दो कमरा 9′–6″ x 8′–2″ एवं 9′–6″ x 9′–0″ का निर्मित पाया गया। एक दरवाजा 3′–0″ x 6′–0″ चौखट सहित एवं बिना चौखट तथा पाला के 2′–0″ x 3′–3″ आकार का दो खिड़की पाया गया। 9′–6″ x 9′–0″ फीट का एक कमरा में प्लास्टर कार्य किया हुआ पाया गया तथा दूसरे में प्लास्टर का कार्य नहीं पाया गया तथा बाहरी दीवाल में भी प्लास्टर का कार्य नहीं पाया गया जबकि उसकी मापी पुस्त में दर्ज किया गया है। बिना प्राक्कलन पुनरीक्षित किये हुए रिहायसी यूनिट के आंतरिक आकार में परिवर्त्तन किया गया है। इसी प्रकार प्राक्कलन के अनुसार सीलींग एवं कलर वासिंग का भी कार्य कराया गया है।

इस योजना में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराया गया। लेकिन 78,000/– का भुगतान अभिकर्त्ता को दिया गया। जिससे अनियमितता परिलक्षित होता है जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।

(x) (वित्तीय वर्ष 2005–06) योजना क्रमांक–5 :– कौशल्या देवी पति सुधीर रजक, ग्राम–लौसाका रिहायसी यूनिट निर्माण (20 प्रतिशत के अन्तर्गत) :– इस योजना की रूपये 78,000/– की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है। अभिकर्त्ता श्री कुलानंद मिश्रा, कनीय अभियंता को उनके द्वारा मापीपुस्त के पृष्ठ 1 से 5 में अंकित मापी जो सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से जाँचित है, के अनुसार रूपये 78,000/– का भुगतान किया गया है।

दिनांक– 18.07.2008 को स्थल निरीक्षण के दौरान कौशल्या देवी पति स्व० सुधीर रजक, ग्राम–लौसा का रिहायसी यूनिट का कोई निर्माण नहीं पाया गया एवं कौशल्या देवी एवं उपस्थिति ग्रामीणों द्वारा इनके रिहायसी यूनिट नहीं बनाये जाने की बात की गयी है। इस योजना के मापीपुस्त के पृष्ठ सं०–1 में बिल न० फस्ट एवं फाइनल में कनीय अभियंता द्वारा अंकित किया गया है कि "Name of work const. of rahaisi unit of Kausalya Devi W/o Sudhir Rajak, Village Bhadarya (Amarpur) Agency - Departmental, date of measurement 22- 02-06" उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम भदरिया में रजक जाति का कोई परिवाद नहीं रहता है। लौसा में ही इस जाति का परिवार है। जिससे अनियमितता परिलक्षित होता है जिसके लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी है।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप क्रमांक– (i), (iv), (v), (vi), (ix), (x) को प्रमाणित बताया गया एवं आरोप क्रमांक–(ii) को आंशिक रूप से प्रमाणित बताया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर किया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि इन योजनाओं में कुल भुगतान 4,55,750/–(चार लाख पचपन हजार सात सौ पचास रूपये) का हुआ है, कार्यपालक अभियंता के रूप में श्री निरंजन उराँव से आशा की जाती थी कि वे इसका पर्यवेक्षण करते तथा कार्य के अनुरूप भुगतान करते,

ये सारे काम श्री उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं०–02, बाँका के द्वारा विभागीय रूप से कनीय अभियंता द्वारा कराया गया है, मापपुस्त में उनके द्वारा सारे इन्ट्रीज को सत्यापित भी किया गया है। श्री निरंजन उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न प्रस्तावित दण्ड के लिए विभागीय पत्रांक– 2523 दिनांक– 11.06.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया :–

(i) निन्दन

(ii) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

4. श्री उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर किया गया। श्री उराँव द्वारा अपने कारण पृच्छा में उन्हीं तथ्यों को दर्शाया गया, जो उन्होंने अपने बचाव बयान में संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा था। श्री उराँव द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया, जिससे कि उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विचार किया जा सके।

चूँकि श्री निरंजन उराँव, कार्यपालक अभियंता दिनांक– 31.01.2020 को सेवानिवृत होने वाले है, अतः इनपर दो वेतनवृद्धि का दण्ड प्रभावी नहीं होगा। अतएव सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री निरंजन उराँव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आंरोपों के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) निन्दन

(ii) एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1008 राँची/दिनांक 12/02/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक– 22/नि०सि०(भाग०)–09–02/2010–2228 दिनांक– 30.09.2015 के क्रम में /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास प्रमण्डल सं०–02, बाँका /मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री निरंजन उराँव, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, नाला/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/02/2019

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव